न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :–17 / 2024

वादीगणः–	बनाम	प्रतिवादी गणः–
1. जानकी देवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारीया नीव 2. रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीवं 3. रेखा पत्नी प्रकाश पुत्री जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीवं		1. तहसीलदार (भूमि–धाराक), सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. प्रतिवादी तहसीलदार सोतज

–: निर्णय :– दिनांक – 16/3/24

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0 अधि0 1955 एव सहपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव, पटवार हल्का खारीया नीव, भू.अ.नि. क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत में निम्नासार प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 574 रकबा 0.0100 है0, ख0नं0 575 रकबा 0.2000 है0, ख0न0 579 रकबा 3.7900 है0, 580 रकबा 3.5100 है0 कुल खसरे 04 कुल रकबा 7.5100 है0 किस्म कृषि भूमि स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में देवाराम पुत्र घीसाराम 1/4, ढगलाराम पुत्र धुलाराम 1/4 कौम सीरवी, गौदाराम, हिमताराम, जावताराम पिसरान बालू 1/2 कौम मेघवंशी सा.देह खातेदार के नाम की रेवेन्यू रेकर्ड में दर्जसुदा रही, जो कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 से बखुबी साबित है।तत्पश्चात वादीगण के पिता जगदीशचन्द्र की मृत्यु वर्ष 1997 में हो गई तथा वादीगण के दादा हिमताराम जी की मृत्यु वर्ष 2005 में होने के पश्चात वादीगण के पिता जगदीशचन्द्र, वादीगण के दादा हिमताराम का फौतेदगी नामान्तरण संख्या 1090 दिनांक 05/12/2009 को भर कर स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात रेवेन्यु रेकर्ड जमाबन्दी हिमताराम फोत के स्थान पर तुलसाराम पुत्र हिमताराम, विदिया पुत्री हिमताराम, जानकी पत्नी जगदीश, रामचन्द्र, खेताराम, रमेशचन्द्र पुत्र जगदीश, रेखा पुत्री जगदीश दर्ज किया गया। वादीगण के पिता/पति को ग्राम खारीया नीव में भूण्डाराम नाम से भी जानते थे, जबकि भूण्डाराम का वास्विक व सही नाम दस्तावेजो में जगदीशचन्द्र था। वादीगण के पिता/पति जगदीशचन्द्र के व वादीगण के तमाम दस्तावेजों में उनकी वल्दीयत में उनके पिता का नाम जगदीशचन्द्र ही दर्ज है। वादीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र में भी जगदीशचन्द्र ही अंकित है। वादग्रस्थ कृषि जोत की भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खारिया नीव में स्थित है, उक्त कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव में स्थित

है, उक्त कृषि भूमि मे भी हिमताराम जी का फौतेदगी नामान्तरण भरते समय वादिगण के पिता/पति का नाम जगदीश अंकित है, जिसको भी जगदीशचन्द्र करवाने हेतु न्यायालय में रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। इस प्रकार यह साबित होता है कि वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम जगदीशचन्द्र ही है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयों ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य की जॉच किये घर का नाम भुण्डाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जो कि गलत दर्ज हुआ है, ग्राम खारीया नीव मे भूण्डाराम पुत्र हिमताराम नाम का अन्य कोई भी व्यक्ति निवासी नहीं करता है।वादीगण के पिता/पति का सही व वास्तविक नाम जगदीशचन्द्र पुत्र हिमताराम है, उपरोक्त त्रुटी की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 09.01.2024 को राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी कम्प्यूटर से ऑनलाईन लेने पर हुई कि वादीगण/वादी प्रार्थी संख्या 01. के पुत्र रामचन्द व खेताराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में जानकी पत्नी जगदीश के स्थान पर जानकी पत्नी भुण्डाराम, रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भुण्डाराम व खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र के स्थान पर खेताराम पुत्र भुण्डाराम, रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र के स्थान पर रमेश पुत्र भुण्डाराम व रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र के स्थान पर रेखा पुत्री भुण्डाराम अंकित कर दिया गया है, जिसको दुरूस्त कर वादीगण इस बात की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण/वादी संख्या 1 के पुत्र रामचन्द्र व खेताराम का नाम जानकी पत्नी भुण्डाराम के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र भुण्डारामके स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र भुण्डारामके स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री भुण्डारामके स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरूस्त किया जावे। बिनायदावा दिनांक 09.01.2021 को सर्वप्रथम जगदीशचन्द्र के स्थान पर वादीगण के पिता/ पति का नाम भुण्डाराम अंकित होने की जानकारी होन बमुकाम सोजतसिटी हुआ, जो वाद अन्दर म्याद श्रीमान के न्यायालय में प्रसतुत है। वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भुमि सरहद मौजा खारीया नीव के खसरा नम्बर 574, 575, 579, व 580 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.5100 हैक्टर के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में जानकी पत्नी भुण्डाराम के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र भुण्डारामके स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री भुण्डाराम के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब दावा पेश नही करना चाहने से जबाब दावा बन्द किया जाता है। किसी प्रकार की प्रतिरोधात्मक टिप्पणी नही होने से पृथक से तनकी कायम नही की जाकर पत्रावली शहादत वादी में रखी गई। अधिवक्ता वादी शहादत वादी पेश नही करने से शहादत वादी आज बन्द की गई। शहादत प्रतिवादी पेश नही करने से शहादत प्रतिवादी आज बन्द की गई।

तहसीलदार सोजत से वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु प्राप्त की गई। तहसीलदार सोजत मय मौका फर्द अनुसार माफिक ईश्तदुआ दुरूस्ती किए जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया किया राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाणपत्र में भी जगदीशचन्द्र ही अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य की जॉच किये प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड सरहद मौजा खारीया नीव के खसरा नम्बर 574, 575, 579, व 580 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.5100 हैक्टर के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में जानकी पत्नी भुण्डाराम के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र भुण्डारामके स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री भुण्डाराम के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरूस्त किया जावे। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपति नही होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेज, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण के पिता / पत्ती का नाम जगदीशचन्द्र होने की पुष्टि होती है। लिहाजा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–::आदेश::–

उपर्युक्त विवेचन / विश्लेषण अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट सहपठित धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव, पटवार हल्का खारीया नीव, भू.अ.नि. क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत के ख0नं0 574 रकबा 0.0100 है0, ख0नं0 575 रकबा 0.2000 है0, ख0न0 579 रकबा 3.7900 है0, 580 रकबा 3.5100 है0 कुल खसरे 04 कुल रकबा 7.5100 है0 की कृषि भूमि में रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में जानकी पत्नी भुण्डाराम के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र भुण्डारामके स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री भुण्डाराम के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरूस्त रूप से इन्द्राज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। डिक्री पर्चा मूर्तीब तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादीगणः– **बनाम** **प्रतिवादी गणः–**

1. जानकी देवी पत्नी जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारीया नीव
2. रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीवं
3. रेखा पत्नी प्रकाश पुत्री जगदीशचन्द्र जाति मेघवाल निवासी खारिया नीवं

बनाम

1. तहसीलदार (भूमि–धाराक), सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 17 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री पुनीतदवे प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव, पटवार हल्का खारीया नीव, भू.अ.नि. क्षेत्र खारीया नीव तहसील सोजत के ख0नं0 574 रकबा 0.0100 है0, ख0नं0 575 रकबा 0.2000 है0, ख0न0 579 रकबा 3.7900 है0, 580 रकबा 3.5100 है0 कुल खसरे 04 कुल रकबा 7.5100 है0 की कृषि भूमि में रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में जानकी पत्नी भुण्डाराम के स्थान पर जानकी पत्नी जगदीशचन्द्र, रामचन्द्र पुत्र भुण्डारामके स्थान पर रामचन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र, खेताराम पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर खेताराम पुत्र जगदीशचन्द्र, रमेश पुत्र भुण्डाराम के स्थान पर रमेश पुत्र जगदीशचन्द्र व रेखा पुत्री भुण्डाराम के स्थान पर रेखा पुत्री जगदीशचन्द्र दुरुस्त रूप से इन्द्राज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। डिर्की पर्चा मूर्तीब तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/3/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.